[2010] 1 एस. सी. आर 815

कर्नाटक राज्य और अन्य

बनाम

गैडिलिंगप्पा और अन्य

(सिविल अपील संख्या 819-851/2010)

22 जनवरी, 2010

[वी. एस. सिरपुरकर और डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे. जे.]

सेवा कानूनःशिक्षक के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता-पूरी नहीं-नियमितीकरण के लिए दावा अभिनिर्धारित: संधारणीय नहीं ।

पूर्ववर्तीःपहले के मामले में गलत किया गया- अभिनिर्धारित: उसी को कायम नहीं रहने दिया जा सकता है।

प्रत्यर्थीगण को सरकारी स्कूलों में मानद आधार पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था हालाँकि, उनके पास टी. सी. एच. योग्यता नहीं थी, जो एक शिक्षक के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता थी।प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने बिना किसी विराम के मानद शिक्षकों के रूप में लंबी निरंतर सेवा प्रदान

की थी, अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा किया।उनके दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि उनके पास टी. सी. एच. की न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुमति दी।इसलिए अपीलें की गयी हैं।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :

1. स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थीगण लंबे समय तक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने बिना किसी विराम के लगातार सेवा प्रदान की थी।हालाँकि, प्रत्यर्थीगण में से किसी ने भी टी. सी. एच. पाठ्यक्रम नहीं लिया था, जो शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए प्रासंगिक समय पर न्यूनतम निर्धारित योग्यता थी।चूंकि प्रत्यर्थीगण के पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं थी और जिसके कारण उनकी नियुक्ति संवर्ग और भर्ती नियमों का उल्लंघन थी, इसलिए उनकी नियुक्तियां अवैध नियुक्तियां थीं।[पैरा 7] [818-सी. ई.]

सचिव, कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एससीसी 1; आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (2008) 10 एससीसी 1, पर भरोसा किया।

2. यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि भले ही पहले के मामले में कोई गलती की गई हो, उसे बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।[पैरा 7] [819-ए]

मामला कानून संदर्भः

(2006) 4 एससीसी 1 पैरा 7 पर भरोसा करें

(2008) 10 एससीसी 1 पैरा 8 पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 819-851/2010

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर के रिट याचिका संख्या 45859-45891/ 2010 में दिनांकित 26.7.2004 के निर्णय और आदेश से।

संजय आर. हेगड़े, ए. रोहन सिंह, अमित के. चावला अपीलार्थीगण के लिए ।

प्रत्यर्थीगण के लिए राजेश महाले।

न्यायालय का निर्णय डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे. द्वारा दिया गया ।

1. अनुमति दी गयी।

2. इस अपील के माध्यम से, अपीलार्थीगण ने कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलोर की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 26.07.2004 के आदेश को

चुनौती दी है, जिसमें प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई है।उक्त आदेश द्वारा, के. ए. टी. के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया और उच्च न्यायालय ने अपनी सेवाओं को नियमित करने के लिए प्रत्यर्थीगण के दावे की अनुमति दी।

3. प्रासंगिक तथ्य संक्षेप में यहाँ दिए गए हैं।इनमें प्रत्यर्थीगण को सरकारी स्कूलों में मानद आधार पर प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।हालाँकि, प्रत्यर्थीगण के पास टी. सी. एच. योग्यता नहीं थी, जो एक शिक्षक के पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता थी।प्रत्यर्थीगण ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने बिना किसी विराम के मानद शिक्षकों के रूप में लंबे समय तक निरंतर सेवा प्रदान की थी, अपनी सेवाओं को नियमित करने का दावा किया।अपीलार्थी नं.1 ने प्रत्यर्थीगण के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया कि नियमितीकरण या अवशोषण के लिए कोई भी विचार केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में किया जा सकता है जिनके पास शिक्षक पद के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता है और क्योंकि प्रत्यर्थीगण के पास टी. सी. एच. की न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है, इसलिए उनके नियमितीकरण या अवशोषण के लिए विचार नहीं किया जा सकता है और यदि उनके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं होने के बावजूद उन्हें नियमित या अवशोषित किया जाता है, तो यह द्वेषपूर्ण भेदभाव के बराबर होगा और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा।

4. व्यथित महसूस करते हुए, प्रत्यर्थीगण ने के. ए. टी. में प्रकरण दायर किया। हालाँकि, उनके आवेदनों को के. ए. टी. द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। के. ए. टी. के निर्णय के खिलाफ, प्रत्यर्थीगणने बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष रिट याचिका संख्या 45859-891/2003 दायर की।डिवीजन बेंच ने रिट याचिका 33173-33220/2003 में उस अदालत के फैसले के संदर्भ में उपरोक्त रिट याचिकाओं का निपटारा किया, जिससे प्रत्यर्थीगण द्वारा यहां दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी गई।

5. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और हमारे सामने दर्ज दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का सार यह है कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के अपनी सेवाओं को नियमित करने के दावों को अनुमति देने में में गलती की थी, क्योंकि इसमें प्रत्यर्थीगण ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता को पूरा नहीं किया क्योंकि उनके पास टी. सी. एच. योग्यता नहीं थी।

6.दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया और वर्तमान अपील को खारिज करके हमें इसे बनाए रखने के लिए मनाने का प्रयास किया।

7. स्वीकृत रूप से, प्रत्यर्थीगण लंबे समय तक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में काम कर रहे थे और उन्होंने बिना किसी विराम के लगातार सेवा प्रदान की थी।हालाँकि, अभिलेख पर प्रासंगिक दस्तावेजों को देखने के बाद जो तथ्य सामने आता है वह यह है कि प्रत्यर्थीगण में से किसी ने भी टी. सी. एच. पाठ्यक्रम नहीं किया था, जो एक शिक्षक के पद पर नियुक्त होने के लिए प्रासंगिक समय पर न्यूनतम निर्धारित योग्यता थी।चूंकि प्रत्यर्थीगण के पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं थी और जिसके कारण उनकी नियुक्ति संवर्ग और भर्ती नियमों का उल्लंघन थी, इसलिए हमारा मानना है कि उनकी नियुक्तियां अवैध नियुक्तियां थीं।इसके अलावा, न तो यह हमारे संज्ञान में लाया गया है और न ही 2003 की रिट याचिका संख्या 45859-891 में प्रत्यर्थीगणओं द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष रूप से कहा गया है कि प्रत्यर्थीगण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित थे, जो रिट याचिका संख्या 33173-33220/2003 (S-KAT) में याचिकाकर्ताओं का मामला था और साथ ही कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं के दावों को उनकी सेवाओं के नियमितकरण के लिए अनुमति देते समय विचार में लिया गया मुख्य कारक था।इसके अलावा, संवैधानिक पीठ ने सचिव, राज्य कर्नाटक और अन्य बनाम उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किए गए मामले में स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट किया था कि जो निर्णय तय किए गए सिद्धांतों और उमा देवी (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्देशों के

विपरीत हैं, वे पूर्ववर्ती के रूप में उनकी स्थिति से वंचित रहेंगे।यहाँ हम भी चाहते हैं कि यह इंगित करें कि यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि भले ही पहले के मामले में गलती की गई हो, उसे बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

8. इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उमा देवी के मामले (उपरोक्त) और आधिकारिक परिसमापक बनाम दयानंद और अन्य (2008) 10 एस. सी. सी. 1 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के फैसलों के साथ, नियमितीकरण के लिए प्रत्यर्थीगण के दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है।इसलिए, हमारा विचार है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति देने का जो अधिकार है, हम एतद्द्वारा करते हैं।हालाँकि, प्रत्यर्थीगण को किसी अन्य कानून के तहत कोई अन्य उपाय करने की स्वतंत्रता दी गई है, यदि ऐसा उपाय और अधिकार प्रत्यर्थीगण के लिए उपलब्ध है।

अपीलों की अनुमति दी गई।

<u>अस्वीकरण</u> - यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।